न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3 / 45 / 2022	11 / 05 / 2022	24.05.2022

बउनवान

1– कुलवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बास साहोडी तहसील

–– प्रार्थीगण

वनाम

1–तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर, तहसील व जिला अलवर (राज0) –– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थी कुलवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बास साहोडी तहसील व जिला अलवर के पिता स्व0 श्री अर्जुनसिंह की जाति सक्का के स्थान पर रायसिख जमाबंदी वाके ग्राम किशनपुर में दुरूस्त किये जाने अनुसार ख0न0 1/1095 रकबा 4.10 है0 किस्म बारानी 2, 13 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2, 14 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी 2, 2/1096 रकबा 1.20 है0 किस्म बारानी 2 कुल किता 04 रकबा 5.82 है0 वाके ग्राम किशनपुर तहसील अलवर साबिक ख0न0 1 मि0 व 2 मि0 से बने है। एवं नामा0 संख्या 93 वाके ग्राम किशनपुर के द्वारा सिवायचक से प्रार्थी के पिता अर्जुनसिंह पुत्र इन्दरसिंह कौम सिक्ख सा0 साहोडी गै0 खातेदार के नाम दर्ज हो कर आवंटन स्वीकार हुआ। मुताबिक संलग्न जमाबंदी संवत 2038 खाता संख्या 65 में अर्जुनसिंह पुत्र इन्दरसिंह कौम सिख सा0 साहोडी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो रिपोर्ट प0ह0 अनुसार संवत 2047 से 2050 तक की जमाबंदी में बदस्तूर है। लेकिन जमाबंदी संवत 2051 से 70 वाके ग्राम किशनपुर तहसील अलवर बनते समय सहवन से कौम सिक्ख के स्थान पर कौम सक्का दर्ज दर्ज हो गई है। प्रार्थी के पिता की जाति सक्का के स्थान पर राय सिक्ख राजस्व रिकॉर्ड में दुरूरुती कराई जावे। अन्य उचित अनुतोष बहक प्रार्थीगण सादिर फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिर्पोट ली गई तहसीलदार अलवर ने एवं प0ह0 पैंतपुर ने रिपोर्ट में अंकित किया कि ख0न0 1/1095 रकबा 4.10 किस्म बारानी2, 13 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी2, 14 रकबा 0.27 किस्म बारानी2, 2/1096 रकबा 1.20 बारानी2 किता 04 रकबा 5.82 वाके ग्राम किशनपुर तहसील अलवर साबिक ख0न0 1 मि0 व 2 मि0 से बने है। जिसका मिलान क्षेत्रफल संलग्न है कृपया अवलोकन फरमावे। नामा0 संख्या 93 वाके ग्राम किशनपुर के द्वारा सिवायचक से प्रार्थी के पिता अर्जुनसिंह पुत्र इन्दरसिंह कौम सिक्ख सा0 साहोडी गै0 खातेदार के नाम दर्ज हो कर आवंटन स्वीकार हुआ।

तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है कि हाल जमाबन्दी में अर्जुनसिंह पुत्र इन्दरसिंह की जाति सक्का के स्थान पर सिक्ख दुरूस्त किये जाने के अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ख0न0 1/1095 रकबा 4.10 है0 किस्म बारानी 2, 13 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2, 14 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी 2, 2/1096 रकबा 1.20 है0 किस्म बारानी 2 कुल किता 04 रकबा 5.82 है0 वाके ग्राम किशनपुर तहसील अलवर में अर्जुनसिंह पुत्र इन्दरसिंह की जाति सक्का के स्थान पर सिक्ख दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर